रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2010/माघ 16, 1931
No. 218] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2010/MAGHA 16, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2010

का.आ. 260(अ).—जबकि, स्टूडेंटस इस्लामिक मूवमेन्ट ऑफ इण्डिया (जिसका उल्लेख इसके बाद 'सिमी' के रूप में किया गया है) ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहा है जो देश की सुरक्षा के प्रतिकूल हैं और जो शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने और देश के धर्म निरपेक्ष ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने का माद्दा रखती हैं;

और जबकि, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसका उल्लेख इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में किया गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने क्रमश: (i) दिनांक 27 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 960(अ); (ii) दिनांक 26 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 1113(अ), (iii) दिनांक 8 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 191(अ), और (iv) दिनांक 7 फरवरी, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 276(अ) के तहत सिमी को एक विधि-विरुद्ध संगठन घोषित किया है;

और जबकि, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) न्यायाधिकरण (जिसका उल्लेख इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में किया गया है) का गठन यह न्यायनिर्णय देने के लिए किया गया था कि क्या सिमी को विधि-विरुद्ध संगठन घोषित करने के संबंध में पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं और न्यायाधिकरण ने अपने क्रमश: (i) दिनांक 8 अप्रैल, 2002 के आदेश संख्या का.आ. 397(अ); (ii) दिनांक 16 अप्रैल, 2004 के आदेश सं. का.आ. 499(अ); और (iii) दिनांक 11 अगस्त, 2006 के आदेश संख्या का.आ. 1302(अ); के तहत प्रतिबंध को सही ठहराया है;

और जबकि, न्यायाधिकरण ने दिनांक 5 अगस्त, 2008 के अपने आदेश में यह निर्णय देते हुए कि दिनांक 7 फरवरी, 2008 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना संख्या का.आ. 276(अ) अधिनियम की धारा 3 की अपेक्षता को पूरा नहीं करती है और उसमें की गई घोषणा को निरस्त कर दिया;

और जबकि, केन्द्र सरकार ने, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 2008 की संख्या 19845 दायर करके न्यायाधिकरण के उपर्युक्त आदेश को चुनौती दी;

और जबकि; माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 6 अगस्त, 2008 को न्यायाधिकरण के उपर्युक्त आदेश पर अन्तरिम स्थगन आदेश दे दिया;

और जबकि, बाद में हुई सुनवाई में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्थगन आदेश की अवधि अगले आदेशों तक बढ़ा दी और मामले की सुनवाई एक बड़ी पीठ द्वारा किए जाने के आदेश दिए;

और जबकि, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा (6) की उप-धारा (1) के अनुसरण में जारी अधिसूचना की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए लगाया गया प्रतिबंध 6 फरवरी, 2010 को समाप्त हो जाएगा;

और जबकि, केन्द्र सरकार की यह राय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष व्यक्त किए गए अपने आशय के प्रति पूर्वाग्रही हुए बिना, अति सर्तकता के लिए अधिनियम की धारा 3 के तहत उसे प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करना आवश्यक है;

और जबकि, केन्द्र सरकार का यह विचार है कि अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर यह विश्वास किया जा सकता है कि सिमी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है जो देश की एकता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं :—

(क) पुलिस थाना पीथमपुर, धार, मध्य प्रदेश में दिनांक 27 मार्च, 2008 को दर्ज आपराधिक मामला संख्या 120/08 के अनुसार, सफदर हुसैन नागोरी सहित 13 फरार कुख्यात सिमी कार्यकर्ताओं को विभिन्न स्थानों पर विस्फोट की योजना बनाते हुए, आग्नेयास्त्रों और आपत्तिजनक साहित्य, सिमी के प्रशिक्षण की पुस्तकों सहित गिरफ्तार किया गया था ।

(ख) दिनांक 13 मई, 2008 को जयपुर में शृंखलाबद्ध विस्फोट हुए जिनमें 68 लोग मारे गए और 150 लोग जख्मी हुए और पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है ।

(ग) दिनांक 26 जुलाई, 2008 को अहमदाबाद शहर 18 विभिन्न स्थानों पर हुए 23 शृंखलाबद्ध विस्फोटों से थर्रा गया, जिनमें से दो कार बम विस्फोट दो अस्पतालों में हुए, इन विस्फोटों के परिणामस्वरूप 57 व्यक्तियों की मौत हो गई और 160 से अधिक लोग घायल हो गए । अहमदाबाद नगर पुलिस ने इन विस्फोटों के सिलसिले में 18 सिमी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया । इन कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पुलिस द्वारा अट्ठारह मामले दर्ज किए गए ।

(घ) दिनांक 13 सितम्बर, 2008 को दिल्ली के विभिन्न इलाकों में कई विस्फोट हुए जिनमें 24 व्यक्तियों की जानें गईं और 146 लोग घायल हो गए । दिल्ली पुलिस ने इन विस्फोटों के सिलसिले में 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जिनमें से तीन अभियुक्तों का सम्बन्ध सिमी से था । दिल्ली पुलिस ने इन तीन अभियुक्तों सहित 12 अभियुक्तों के विरुद्ध 5 मामले दर्ज किए हैं ।

(ङ) दिनांक 25 जुलाई, 2008 को बंगलौर शहर में विभिन्न स्थानों पर आठ शृंखलाबद्ध विस्फोट हुए । एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 11 व्यक्ति घायल हो गए । कर्नाटक पुलिस ने 9 मामले दर्ज किए और 10 अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिनमें से 3 सिमी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं ।

(च) एस.आई.टी. हैदराबाद ने, देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की साजिश के लिए सिमी के सात अभियुक्त कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया । उनकी, आर.आर. जिले में अनन्तगिरी पर्वतीय वन क्षेत्र में एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की योजना थी ।

(छ) अवैध संगठनात्मक गतिविधियां चलाने के लिए सिमी के कार्यकर्ताओं को सिहोर, भोपाल, राजगढ़ और इन्दौर जिलों में फरवरी 2008 और अगस्त 2008 के बीच गिरफ्तार किया गया;

(ज) अवैध संगठनात्मक गतिविधियां चलाने के लिए सिमी के कार्यकर्ताओं को हैदराबाद के गोपालपुरम और सैदाबाद में फरवरी 2008 और सितम्बर 2008 के बीच गिरफ्तार किया गया;

(झ) विधि-विरुद्ध क्रियाकलापों के लिए सिमी के पांच कार्यकर्ताओं को ए.टी.एस. भोपाल द्वारा इन्दौर से दिनांक 29 अक्तूबर, 2009 को गिरफ्तार किया गया । ए.टी.एस. भोपाल द्वारा विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1969 की धारा 3, 10 एवं 13 के तहत और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153(क) और 153(ख) के तहत आपराधिक मामला संख्या 5/2009 दर्ज किया गया;

(ञ) दिनांक 20 अक्तूबर, 2009 को इन्दौर से गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं द्वारा खुलासा किए जाने पर ए.टी.एस. भोपाल द्वारा दिनांक 4-11-2009 को जबलपुर से सिमी के चार अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया । विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1969 की धारा 3, 10 एवं 13 के तहत और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153(क), 153(ख) और 120(ख) के तहत आपराधिक मामला संख्या 6/2009 दर्ज किया गया;

(ट) गोकुल रोड, पुलिस थाना, हुबली सिटी द्वारा, दांडिक मामला संख्या 14/2008 के तहत आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण सिमी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120(ख), 121, 121(क), 122, 124(क) 153(क)(1)(ख), 153(ख)(1)(क), विधि-विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10, 11 एवं 13 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया । इस मामले में कुल 18 सिमी कार्यकर्ताओं को अभियुक्त बनाया गया;

(ठ) दिनांक 24 अप्रैल, 2009 को तीस हजारी न्यायालय द्वारा सिमी के एक अभियुक्त, जिसे दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 2007 को विस्फोटक सामग्री सहित गिरफ्तार किया गया था, को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 1,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई;

(ड) निचले न्यायालय द्वारा दिनांक 9 जुलाई, 2007 को, सिमी के 4 अभियुक्तों को, प्रत्येक को, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121/121क/122 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने, जिसके अदा न किए जाने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सज़ा, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने, जिसके अदा न किए जाने पर 3 माह की अतिरिक्त कारावास की सज़ा, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई, इस सज़ा के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर अपील को दिनांक 28 जुलाई, 2008 को निरस्त कर दिया गया ।

और जबकि, उपर्युक्त आधारों पर केन्द्र सरकार की यह राय है कि यह विश्वास किया जा सकता है कि सिमी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है जो देश की एकता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं ।

अतः, इसलिए, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इण्डिया (सिमी) को एक "विधि-विरुद्ध संगठन" घोषित करती है;

और जबकि, केन्द्र सरकार की यह भी राय है कि यदि सिमी की विधि विरुद्ध गतिविधियों पर तुरन्त अंकुश नहीं लगाया गया और उन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो उसे निम्नलिखित कार्य करने का मौका मिल जाएगा :—

(i) अपनी विध्वंसक गतिविधियों को जारी रखना और अपने उन कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित करना जो अभी तक फरार हैं;

(ii) लोगों की मानसिकता को विकृत करके और साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर देश के धर्म-निरपेक्ष ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करना;

(iii) देश विरोधी भावना भड़काना; और

(iv) उग्रवाद का समर्थन करके अलगाववाद को बढ़ाना;

(v) ऐसी गतिविधियों को अन्जाम देना जो देश की एकता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं;

और जबकि, केन्द्र सरकार की यह भी राय है कि सिमी के कार्यकर्ताओं की गतिविधियों को देखते हुए सिमी को तत्काल प्रभाव से एक विधि विरुद्ध संगठन घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार, धारा 3 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत किये गये किसी भी आदेश के अध्यधीन, सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी ।

[फा. सं. 14017/2/2009-एन आई-III]

डॉ. कशमीर सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2010

S.O. 260(E).—Whereas the Students Islamic Movement of India (hereinafter referred to as the 'SIMI') has been indulging in activities, which are prejudicial to the security of the country and have the potential of disturbing peace and communal harmony and disrupting the secular fabric of the country;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the 'Act') the Central Government declared the SIMI as an unlawful association *vide* notification numbers, (i) S.O. 960 (E), dated the 27th September, 2001; (ii) S.O. 1113 (E), dated the 26th September, 2003; and (iii) S.O. 191 (E), dated the 8th February, 2006; (iv) S.O. 276(E), dated the 7th February, 2008 respectively;

And whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal (hereinafter referred to as the 'Tribunal') was constituted for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the SIMI as unlawful association and the Tribunal upheld the ban *vide* Order numbers, (i) S.O. 397 (E), dated 8th April, 2002; (ii) S.O. 499 (E), dated 16th April, 2004; and (iii) S.O. 1302 (E), dated the 11th August, 2006 respectively;

And whereas, the Tribunal *vide* Order dated 5th August, 2008 held that the notification number S.O. 276(E), dated 7th February, 2008 mentioned above did not satisfy the requirement of Section 3 of the Act and cancelled the declaration made therein;

And whereas, the Central Government challenged the aforesaid Order of the Tribunal in the Hon'ble Supreme Court of India *vide* Special Leave Petition (Civil) No. 19845 of 2008;

And whereas, on 6th August, 2008, the Hon'ble Supreme Court was pleased to order interim stay of the aforesaid Order of the Tribunal;

And whereas, on subsequent hearing the Hon'ble Supreme Court extended the stay till further order and ordered that the matter be heard by a larger Bench;

And whereas that the duration of ban of 2 years from the date of notification conferred by sub-section (1) of Section (6) of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 will cease on 6th February, 2010;

And whereas, the Central Government is of the opinion that without prejudice to its contentions before the Hon'ble Supreme Court, in abundant caution, it is necessary to exercise its powers under Section 3 of the Act;

And whereas the Central Government is of the opinion based, inter alia, on the following grounds that SIMI is believed to be indulging in the activities which are prejudicial to the integrity and security of the country:

(a) In case bearing Crime No. 120/08, March 27, 2008, in PS Pithampur, Dhar, Madhya Pradesh, 13 absconding hardcore SIMI activists including Safdar Hussain Nagori were arrested along with firearms and objectionable literature, training books of SIMI with the aim to cause explosions in different places;

(b) On May 13, 2008, there were a series of blasts in Jaipur, in which 68 persons were killed and 150 were injured and a case has been registered by Police;

(c) On July 26, 2008, Ahmedabad city was rocked by a series of 23 blasts at 18 different places, including two car bomb blasts at two hospital sites, resulting in the death of 57 persons and injuries to over 160 persons. Ahmedabad city police arrested 18 SIMI activists for these blasts. Eighteen cases have been registered by Police against these activists;

(d) On September 13, 2008, there were several blasts in different localities in Delhi, in which 24 persons were killed and 146 were injured. The Delhi Police arrested 12 accused for these blasts out of those three accused belong to SIMI. Delhi Police have registered 5 cases against 12 accused including these three;

(e) On 25th July, 2008, eight serial bomb blasts occurred at different places in Bangalore city. One woman died at the spot and 11 persons were injured. The Karnataka police have registered 9 cases and have arrested 10 accused persons of which 3 were active members of SIMI.

(f) SIT, Hyderabad registered a case against seven accused activists of SIMI for conspiracy to wage war against the country. They had plans to organize a training camp in Anantagiri Hills Forest Range in RR Distt.

(g) Between February 2008 and August 2008, SIMI activists were arrested in Sehore, Bhopal, Rajgarh and Indore districts for carrying on illegal organizational activities.

(h) Between February 2008 and September 2008, SIMI activists were arrested in Gopalpuram and Saidabad in Hyderabad for carrying on illegal organizational activities.

(i) Five SIMI activists were arrested on 20-10-2009 by ATS Bhopal from Indore for unlawful activities. A Case Cr. No. 5/2009 has been registered by ATS, Bhopal u/s 3,10,13 of UAP Act, 1969, and 153(A) 153(B) IPC.

(j) Based on the revelations of the activists arrested from Indore on October 20, 2009, four more SIMI activists, were arrested from Jabalpur on 4-11-2009 by ATS, Bhopal. A case Cr. No. 6/2009 has been registered u/s 3,10,13 of UAP Act, 1969, and 153(A) 153(B) 120(B) of IPC.

(k) A criminal case was registered against SIMI activists for their involvement in terrorist activities vide Cr. No. 14/2008 under sections 120 (B), 121, 121(A), 122, 124(A), 153(A)(1)(B), 153(B)(1)(A) of IPC, under Section 10, 11, and 13 of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, and Sections 3, 4, and 5 of Explosives Substances Act of Gokul Road Police Station Hubli City. A total 18 SIMI activists have been made accused in the case.

(l) On 24th April, 2009 one accused person of SIMI has been convicted for 5 years RI and fine of Rs. 1,000 by Tis Hazari Court who was arrested with explosive material by Special Cell, of Delhi Police on 25th January, 2007.

(m) An appeal filed in Delhi High Court against the conviction of 4 accused of SIMI on 9th July, 2007 by Lower Court for 10 years RI and fine of Rs. 50,000 each in I/d 6 months u/s 121/121A/122 IPC, RI, 7 years under section 4 of ES Act, fine 25,000 I/d 3 months RI, 5 years u/s 5 ES Act, 5 fine 25,000, was disposed of on 28th July, 2008.

And whereas the Central Government, based on the aforesaid grounds, is of the opinion that SIMI is believed to be indulging in the activities which are prejudicial to the integrity and security of the country;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Students Islamic Movement of India (SIMI) to be an "unlawful association";

And whereas, the Central Government is further of the opinion that if the unlawful activities of the SIMI are not curbed and controlled immediately, it will take the opportunity to—

(i) continue its subversive activities and re-organize its activists who are still absconding;

(ii) disrupt the secular fabric of the country by polluting the minds of the people by creating communal disharmony;

(iii) propagate anti-national sentiments; and

(iv) escalate secessionism by supporting militancy;

(v) undertake activities which are prejudicial to the integrity and security of the country;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that having regard to the activities of the SIMI, it is necessary to declare the SIMI to be an unlawful association with immediate effect, and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of Section 3, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 14017/2/2009-NI-III]

Dr. KASHMIR SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.